परियोजना अवधि ऋण

(क) रुपए अवधि ऋण

1. उद्देश्य

विविध परियोजनाओं अर्थात उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण, मिटरिंग आदि के लिए विद्युत और संबद्ध क्षेत्रों और साथ ही विद्युत परियोजनाओं से संबन्धित संरचनात्मक परियोजनाओं के पात्र ऋणकर्ताओं को वित्तपोषण प्रदान करना।

2. पात्र विद्युत संस्थाएं

(i) विद्युत परियोजनाओं के विकास में संलग्न राज्य विद्युत संस्थाएं और राज्य सरकार विभाग,

(ii) नगरपालिका द्वारा चलने वाली विद्युत संस्थाएं,

(iii) राज्य भागीदारी के साथ या बिना केंद्रीय राज्य विद्युत संस्थाएं,

(iv) संयुक्त क्षेत्र संगठन,

(v) निजी क्षेत्र संगठन,

(vi) विद्युत क्षेत्र में सहकारी औरे अन्य सोसाईटियां,

(vii) विद्युत परियोजनाओं के विकास में संलग्न केंद्रीय क्षेत्र विद्युत संस्थाएं/एंटीटी।

3. सहायता (निधियों की वास्तविक अपेक्षाओं तक प्रतिबंधित)

क्रम सं.	योजनाओं की श्रेणी	परियोजना लागत का %	
		केंद्रीय/ राज्य क्षेत्र	निजी क्षेत्र
(i)	अध्ययन, परामर्श और प्रशिक्षण	100	50
(ii)	अनुसंधान एवं विकास, संधारित्र, ऊर्जा मीटर,कम्प्यूटरीकरण, लोड डिस्पैच, यूडी, पारेषण, टी एवं डी का आर एवं एम।	90	50
(iii)	ऊर्जा बचत परियोजनाएं	90	*70

(iv)	परियोजना विकास (राज्य/ यूटी विद्युत संस्थाएं)	80	--
(v)	पर्यावरण उन्नयन, उत्पादन के आर एवं एम/आर एवं यू, मिनी, माइक्रो और लघु जलीय उत्पादन परियोजनाएं, सीमित और सह-उत्पादन संयंत्र, गैर-परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत	80	50
(vi)	विद्युत क्षेत्र के लिए उपस्कर निर्माण क्षमता की स्थापना/ विस्तार	80	**50
(vii)	मध्यम और बड़े जलीय उत्पादन	80	25
(viii)	तापीय उत्पादन, विद्युत क्षेत्र के लिए ईंधन स्त्रोत विकास और उसके वितरण (एफ़एसडी एवं डी) के क्षेत्र में परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाओं के साथ फॉरवर्ड/ बैकवर्ड संरचनात्मक परियोजनाएं	80	20
(ix)	ग्रिड संबंधित सौर पीवी (ग्रिड इंटरैक्टिव सौर विद्युत उत्पादन हेतु दिनांक 24.01.2008 की अधिसूचना सं. 32/61/2007-08 पीवीएसई द्वारा जारी इसके दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रोत्साहन आधारित उत्पादन हेतु एमएनआरई द्वारा अनुमोदित)	70	70

*25 करोड़ रूपए तक परियोजना लागत के लिए 70% और वृद्धिशील परियोजना लागत (ऊर्जा बचत परियोजनाओं) का 50%।

**उच्च ऋण निवेश, परियोजना लागत (केस-टू-केस आधार पर निर्धारित) के अधिकतम 70% तक आकलन के आधार पर किया जाएगा।

टिप्पणी:

(i) निजी क्षेत्र ऋणकर्ताओं की स्थिति में, पीएफ़सी गैर-निधि आधारित निवेश (केवल गैर-निधि आधारित निवेश और एक साथ किया गया निधि आधारित और गैर-निधि आधारित निवेश) की स्थिति में उपर्युक्त दर्शाए प्रतिशत के अतिरिक्त परियोजना लागत के अतिरिक्त वित्तपोषण/ निवेश को भी मानेगी और/या ऋण वित्तपोषण और/या जहां पीएफ़सी प्रमुख संस्था के रूप में कार्य कर रही है और/या परियोजना को दी गई एकीकृत रेटिंग के आधार पर है।

(ii) उपर्युक्त वित्तपोषण की सीमा पीएफ़सी के प्रूडेंशियल नोर्म के अनुसार सम्पूर्ण निवेश सीमा के अंतर्गत होंगे।

4. ब्याज दरें और अन्य प्रभार

ब्याज दरें समय-समय पर पीएफ़सी द्वारा अधिसूचित है। ब्याज दरें निर्धारित हैं और बशर्ते वह प्रथम संवितरण तारीख से 3 वर्ष/ 10 वर्ष (यथा लागू) के तुरंत पश्चात आने वाले ऋण की किश्त के भुगतान की मानक देय तारीख से रीसेट हो। दरें संवितरण की तारीख से लागू होंगी। वर्तमान में, प्रोत्साहन/ रिबेट राज्य/ केंद्रीय क्षेत्र विद्युत संस्थाओं के लिए समय पर देय के भुगतान के लिए लागू है।

कमिटमेंट शुल्क/ अपफ्रंट शुल्क समय-समय पर संबंधित ऋणकर्ताओं के लिए लागू होंगी। अन्य शुल्क जैसे, प्रोसेसिंग शुल्क, लीड शुल्क, फ़ैसिलिटी एजेंट शुल्क आदि समय-समय से निजी क्षेत्र विद्युत संस्थाओं हेतु यथा लागू हैं।

5. ऋण पुनर्भुगतान

(क)**मूल पुनर्भुगतान** - वाणिज्यिक प्रचालन/ कमीशनिंग/ परियोजना के समापन/ योजना की नियत तारीख से 6 महीनों की मोरेटोरियम अवधि के पश्चात् शुरू

होता है। पुनर्भुगतान तिमाही आधार पर मानक देय तारीख अर्थात् प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल, 15 जुलाई, 15 अक्टूबर और 15 जनवरी को होता है।

(ख)**ब्याज पुनर्भुगतान** - उपर्युक्त दर्शाई गई मानक देय तारीखों पर तिमाही आधार पर होता है। तथापि, ब्याज के भुगतान पर कोई मोरेटोरियम अवधि नहीं है।

6. पुनर्भुगतान

क्रम सं.	**परियोजना/ योजना का प्रकार**	**अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि(वर्षों में)**
1.	जलीय उत्पादन योजनाएं	20
2.	मीटरिंग, अध्ययन, परामर्श, प्रशिक्षण, आर एवं डी, सर्वेक्षण एवं जांच, संप्रेषण और कम्प्यूटीकरण योजनाएं, ऊर्जा बचत परियोजनाएं	5
3.	विद्युत क्षेत्र के लिए ईंधन स्त्रोत विकास एवं इसका वितरण (एफ़एसडी एवं डी)	10
4.	विद्युत क्षेत्र के लिए उपस्कर निर्माण क्षमता की स्थापना/ विस्तार • मुख्य संयंत्र निर्माता • अन्य उपस्कर निर्माता	 10 7
5.	ग्रिड संबंधित सौर पीवी (ग्रिड इंटरैक्टिव सौर विद्युत उत्पादन हेतु दिनांक 24.01.2008 की अधिसूचना सं. 32/61/2007-08 पीवीएसई द्वारा जारी इसके दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रोत्साहन आधारित उत्पादन हेतु एमएनआरई द्वारा अनुमोदित)	8
6.	परियोजना विकास (राज्य/ यूटी विद्युत संस्थाएं)	3
7.	तापीय उत्पादन सहित सभी अन्य योजनाएं/ परियोजनाएं	15

7. अपेक्षित प्रतिभूति

प्राथमिक प्रतिभूति	गौण प्रतिभूति
(i) राज्य/ केंद्रीय सरकार गारंटी/ बैंक गारंटी/ परिसंपत्तियों पर प्रभार	पीएफ़सी निजी क्षेत्र विद्युत संस्थाओं से निम्नलिखित में से एक या अधिक अतिरिक्त प्रतिभूतियों को ले सकता है:- (i) निगमित गारंटी (ii) प्रोमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी (iii) प्रोमोटरों के शेयरों की जमानत (iv) ग्रुप/ अन्य कंपनियों की परिसंपत्तियों पर प्रभार (v) पीएफ़सी के पक्ष में सभी परियोजना ठेके, दस्तावेज़, बीमा नीतियां समनुदेशन (vi) राजस्व पर प्रभार (vii) पीएफ़सी को कोई अन्य स्वीकृत प्रतिभूति

भुगतान प्रतिभूति तंत्र

(i) राज्य/ केंद्रीय क्षेत्र ऋणकर्ताओं के लिए: क्रेडिट/ एस्क्रो खाते का पत्र

(ii) निजी क्षेत्र ऋणकर्ताओं के लिए: ऋण सेवा रिजर्व खाते(डीएसआरए) सहित ट्रस्ट एंड रीटेंशन खाता।

(ख) विदेशी मुद्रा ऋण

पीएफ़सी परियोजना के पूंजीगत व्यय की आवश्यकता के आधार पर विदेशी मुद्रा ऋण स्वीकृत करता है बशर्ते अपनी विदेशी मुद्रा ऋण कि क्षमता प्रदान करे। ये ऋण समय-समय से संशोधित आरबीआई द्वारा जारी बाह्य वाणिज्यिक ऋण दिशा-निर्देशों के अधीन अंतिम प्रयोग के लिए विद्युत क्षेत्र संस्थाएं प्रदान करते हैं। प्रस्तुत ब्याज दरें यूएस डॉलर लिबोर या कोई अन्य मुद्रा में लिबोर के छह महीनों के आधार पर होती हैं। लिबोर पर मार्जिन सामान्यता प्रत्येक 5 वर्ष के अंत में रीसेट होती है।